

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,  
विशेष कार्याधिकारी।  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
नगर निगम लखनऊ,

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत जोन-8 विद्यावती वार्ड द्वितीय सेक्टर-एच में विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों का सुधार कार्य कराये जाने हेतु निर्धारित लागत ₹0 125.89 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल ₹. 50.00 लाख (₹. पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण, शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख ₹. में)

क्र०	कार्य का विवरण।	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्धारित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	विद्यावती वार्ड द्वितीय के अन्तर्गत सेक्टर एच में विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों का सुधार कार्य एस0एस0 ब्लॉक	47.30	
2	विद्यावती वार्ड द्वितीय के अन्तर्गत सेक्टर एच में विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों का सुधार कार्य ई0 ब्लॉक	70.64	
3	विद्यावती वार्ड द्वितीय के अन्तर्गत सेक्टर एच में विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों का सुधार कार्य बी0 ब्लॉक	7.95	
	योग	125.89	50.00

(₹. पाचास लाख मात्र)

- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/ पी.एल.ए./डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
- स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
- योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।

4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
  5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
  6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
  7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
  8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
  9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
  10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-12-2016 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
  11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।
- 2- स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)  
विशेष कार्याधिकारी।

**संख्या-07/2017/4206/नौ-5-2016-234बजट/2016, तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त, लखनऊ ।
- 3- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
- 4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ ।
- 5- महापौर, नगर निगम लखनऊ ।
- 6- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परिक्षा, उ०प्र० इलाहाबाद/ लखनऊ ।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
- 9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)  
विशेष कार्याधिकारी।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017  
आवंटन दिनांक-03/01/2017

प्रेषण संख्या:- 07  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-07-2017-4206-9-5-2016-234B-16  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)  
80 - सामान्य  
191 - नगर निगमों को सहायता  
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय  
01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 299651000	5000000 299651000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5000000 299651000	5000000 299651000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उन्तीस करोड़ छियानवे लाख इक्यावन हजार

  
(उमा शंकर सिंह)  
विशेष कार्याधिकारी